न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 2019/073 दर्ज तिथिः–22.02.2019

1. सरकार जर्ये तहसीलदार थानागाजी बतोर भू–धारक

................प्रार्थी

बनाम

1. मोहरया पुत्र लादू जाति बावरिया निवासी ग्राम बढाना का बास तहसील थानागाजी।

..................अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः– पैरोकार सरकार
अप्रार्थीः– अनुपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–09.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि हाल आराजी खसरा संख्या 1008/0.04 है0 किस्म गैर मु0 आबादी वाके ग्राम बढाना का बास तहसील थानागाजी में अप्रार्थी की गैर–खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त हाल आराजी खसरा संख्या 1008/0.04 है0 बन्दोबस्त संवत् 2060 द्वारा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत् 2060 साबिक खसरा संख्या 840/1188/03 बिस्वा वाके ग्राम नरहेट से कायम किया गया। उक्त साबिक खसरा संख्या 840/1188/03 बिस्वा वाके ग्राम नरहेट मुताबिक मिसल बन्दोबस्त संवत्–2028 अप्रार्थी की गैर–खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त साबिक खसरा संख्या 840/1188/03 बिस्वा वाके ग्राम नरहेट बन्दोबस्त संवत्–2028 द्वारा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत्–2028 वाके ग्राम नरहेट साबिक खसरा संख्या 891/03 बिस्वा से कायम किया गया है। उक्त साबिक खसरा संख्या 891/03 बिस्वा मुताबिक जमाबंदी संवत् 2013 वाके ग्राम नरहेट में मूल खसरा संख्या 891/49 बीघा 16 बिस्वा किस्म गैर0मु0 राडा नाकाबिल काश्त भूमि सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प–9(225)राज.6/2007/38 दिनांक 20.11.2007 के अनुसार बन्दोबस्त द्वारा बिना आदेश व क्षेत्राधिकार के दर्ज किये गये गैर–खातेदारी प्रकरणों को निस्तारित करते हुए ऐसी भूमियों को पुनः सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये हुए है। अतः प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए हाल आराजी खसरा संख्या 1008/0.04है0 वाके ग्राम बढाना का बास को सिवायचक करने का निवेदन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः उनकी ओर से एकतरफा कार्यवाही अमल

में लायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में हाल आराजी खसरा संख्या 1008/0.04है0 वाके ग्राम बढाना का बास को सिवायचक करने का निवेदन है।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2069–72 वाके ग्राम बढाना का बास के नवीन खाता संख्या 134 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	खसरा संख्या	रकबा
मोहरया पुत्र लादू कोम बावरिया साकिन देह गैर–खातेदार	1008	0.04 है0

5. प्रकरण में मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त संवत् 2060 वाके ग्राम बढाना का बास का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार हैः–

बन्दोबस्त संवत् 2060			
खसरा नम्बर हाल	रकबा	साबिक	रकबा
1008	0.04 है0	840/1188	03 बिस्वा

6. प्रकरण में मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त संवत् 2028 वाके ग्राम बढाना का बास का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार हैः–

बन्दोबस्त संवत् 2028			
खसरा नम्बर हाल	रकबा	साबिक	रकबा
840/1188	03 बिस्वा	891 मिन	49 बीघा 16 बिस्वा

7. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2051–2054 वाके ग्राम बढाना का बास के खाता संख्या 282 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता	खातेदार	आराजी खसरा संख्या	रकबा
282	मोहरया पुत्र लादू कोम बावरिया साकिन देह गैर–खातेदार	840/1188	03 बिस्वा

इस प्रकार हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2051–2054 वाके ग्राम बढाना का बास के खाता संख्या 282 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि साबिक खसरा संख्या–840/1188 रकबा 3 बिस्वा अप्रार्थी की गैर–खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2028 वाके ग्राम बढाना का बास के खाता संख्या 224 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता	खातेदार	आराजी खसरा संख्या	रकबा

224	मोहरया पुत्र लच्छू कोम बावरिया साकिन देह गैर–खातेदार	840/1188	03 बिस्वा

इस प्रकार हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक मिसल बन्दोबस्त संवत् संवत् 2028 वाके ग्राम बढाना का बास के खाता संख्या 224 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि साबिक खसरा संख्या–840/1188 रकबा 3 बिस्वा अप्रार्थी की गैर–खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

9. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2013 वाके ग्राम बढाना का बास के खाता संख्या 201 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
201	मकबूजे मालकान	891 मिन	49 बीघा 16 बिस्वा	गै0मु0राडा

इस प्रकार हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2013 वाके ग्राम बढाना का बास के खाता संख्या 201 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि साबिक खसरा संख्या–891 मिन रकबा 49 बीघा 16 बिस्वा सिवायचक सरकारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

10. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2021 वाके ग्राम बढाना का बास के खाता संख्या 01 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
01	मिल्कियत सरकार	891 मिन	49 बीघा 16 बिस्वा	गै0मु0राडा

इस प्रकार हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2021 वाके ग्राम बढाना का बास के खाता संख्या 01 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि साबिक खसरा संख्या–891 मिन रकबा 49 बीघा 16 बिस्वा सिवायचक सरकारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

11. इस प्रकार राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प–9(225)राज. 6/2007/38 दिनांक 20.11.2007 का प्रासंगिक विवरण का उद्धरण निम्न प्रकार हैः–

परिपत्र

राज्य सरकार से इस बिन्दु पर मार्ग–दर्शन चाहा गया है कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा भू–प्रबंध प्रक्रिया के दौरान राजस्व अभिलेख में जो गैर–खातेदार दर्ज कर दिये गये है, तो क्या इन प्रकरणों में नियमन की कार्यवाही कर सीधे खातेदार दर्ज कर दिये जावें?

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी आधार के भू–प्रबंध प्रक्रिया के दौरान राजस्व अभिलेख में गैर–खातेदार दर्ज कर दिये गये है तो ऐसी स्थिति में नियमन की कार्यवाही कर खातेदार दर्ज किया जाना निमानुसार नही होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि भू–प्र[illegible] के दौरान यदि भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा बिना [illegible] गैर–खातेदार दर्ज कर दिया गया है तो, ऐसी स्थिति [illegible]–प्रबंध के दौरान हुई त्रुटियों को राजस्थान भू–राज[illegible]–1956 की धारा–136 के अन्तर्गत कार्यवाही दर्ज कर गैर–खातेदारी की प्रविष्टि को हटाने के लिए उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में सम्बंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा प्रार्थना

प्रत्र प्रस्तुत किया जावे एवं नियमानुसार निर्णय किया जाकर गलत रूप से इन्द्राज की गई गैर–खातेदारी की प्रविष्टि को हटाने की कार्यवाही की जावे।

12. इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

मौके पर उक्त भूमि पर दीगर व्यक्तियों के मकानात बने हुये है। उक्त नाम का व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता है। जिस व्यक्ति के नाम गैर–खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उस व्यक्ति का मौके पर कब्जा नहीं है।
अतः उक्त भूमि संवत्–2013 में मकबूजे मालकान तथा संवत्–2027 में जिम्मन संख्या 01 में सिवायचक दर्ज है। जिसे संवत्–2028 में बिना किसी नामान्तकरण एवं सक्षम आदेश से भू प्रबंध विभाग द्वारा गैर खातेदारी दर्ज किया गया है।

13. उक्त विश्लेषण के अनुसार स्पष्ट है कि भू–प्रबंध विभाग संवत्–2028 द्वारा बिना सक्षम आदेश के अप्रार्थी के नाम गैर–खातेदारी दर्ज किया जाना भू–प्रबंध विभाग के क्षेत्राधिकार व प्राधिकार से बाहर किया गया कार्य है। इसके साथ ही तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अप्रार्थी गैर–खातेदार का मौके पर कब्जा नहीं है तथा वह गांव में निवास नहीं करता है। इसके साथ ही राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प–9(225)राज.6/2007/38 दिनांक 20.11.2007 द्वारा स्पष्ट है कि ऐसे प्रकरणों में गैर–खातेदारी दर्ज भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज किया जाये। इस बाबत उपखण्ड अधिकारी को अधिकृत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबिक राजस्व रिकॉर्ड व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वाके ग्राम थानागाजी राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प–9(225)राज.6/2007/38 दिनांक 20.11.2007 के अनुसार मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत् 2060 व 2028 तथा जमाबन्दी संवत 2013, जमाबन्दी संवत 2021, मिसल बन्दोबस्त 2028 तथा जमाबन्दी संवत 2051–54 व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 1008/0.04 है0 किस्म गैर मु0 आबादी वाके ग्राम बढाना का बास तहसील थानागाजी वाके ग्राम थानागाजी पर <u>मोहरया पुत्र लादू कोम बावरिया साकिन देह गैर–खातेदार</u> के अंकन को कलमजन कर भूमि को सिवायचक घोषित करते हुए नियमानुसार अंकन करने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

Signature Not Verified

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 09.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)